फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

बाबूलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 128 एल.आर.ए. मु0नं0–103/2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रा0पत्र अ0धा0 128, 111 एल.आर.ए. इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 755, 756, 757, 758 वाके राम फर्राशपुरा में स्थित है जो कि प्रार्थी के कब्जेकाश्त की भूमि है। प्रार्थी अपने कब्जेकाश्त की भूमि की सीमाओं की काश्त की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार करना चाहते है ताकि आस पडौस के खातेदारों से सीमा विवाद को लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो। प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि की सीमाओं पर स्थायी चिन्ह नहीं होने के कारण सीमा विवाद के कारण आस पडौस के खातेदारों से कहसुनी होती रहती है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान भू–प्रबन्ध विभाग के आदेश क्रमांक 1386 दिनांक 12.06.2018 की पालना में किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किए जावे। विवादित भूमि के पडौसी खातेदारान घनश्याम वगै0 द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। अप्रार्थीगण को पत्रावली में पक्षकार संयोजित किया गया एवं जवाब लिया गया। जवाब में अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान अप्रार्थीगण के गैरमौजूदगी में किया गया है। तथा अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि की तारबंदी कर रखी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि के संबंध में कोई सीमा विवाद नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि को दबाने की नियत से झूठे तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं दौराने बहस किए गए अभिवचनों का ध्यानपूर्वक मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार बहरावण्डा से भी रिपोर्ट तलब की गई है। विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु अधिकारी है। लेकिन उभयपक्ष के दस्तावेजात एवं अभिवचनों से यह भी स्पष्ट है कि उभयपक्षकारान के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद है जिसका निस्तारण पत्थरगढी द्वारा ही संभव है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 755, 756, 757, 758 वाके ग्राम फर्राशपुरा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में पत्थरगढी कायम करने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है तहसीलदार उक्त आदेशानुसार प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना हेतू तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	